

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
--:: संकल्प ::--

(शुद्धि पत्र)

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, तत्कालीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, धोरैया, बांका सम्प्रति सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक के विरुद्ध खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में धान अधिप्राप्ति में गबन के आरोप के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1394 दिनांक-18.06.2019 द्वारा उनके विरुद्ध 05 (पाँच) वर्षों तक उनके पेंशन से 05 (पाँच) प्रतिशत पेंशन की कटौती किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया। तदोपरान्त दिनांक-25.05.2019 को श्री सुरेन्द्र प्रसाद मेहता की मृत्यु के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-8811 दिनांक-18.07.2017 के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2059 दिनांक-28.08.2019 द्वारा उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश को वापस लिया गया। तत्समय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2059 दिनांक-28.08.2019 के कंडिका 3 में श्रीमती रेणु मेहता का स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के पुत्री के रूप में उल्लेख किया गया है।

2. उप सचिव के गै०स०प्रे०सं०-78(श्रम) दिनांक-04.09.2019 द्वारा स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के पेंशन प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये सूचित किया गया है कि श्रीमती रेणु मेहता स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता की पत्नी हैं। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2059 दिनांक-28.08.2019 के कंडिका 3 में स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के पुत्री के रूप में अंकित श्रीमती रेणु मेहता को स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता के पत्नी के रूप में पढ़ा जाय।

3. विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2059 दिनांक-28.08.2019 के शेष अंश यथावत रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:- 6/श्रम वि० आ०(02)-15/2017 श्र०सं०-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:- ज्ञापांक:- 6/श्रम वि० आ०(02)-15/2017 श्र०सं०-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव
पटना, दिनांक-

ज्ञापांक:- ज्ञापांक:- 6/श्रम वि० आ०(02)-15/2017 श्र०सं०-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, बांका/कोषांगार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

निबंधित/स्पीड

ज्ञापांक:- 6/श्रम वि० आ०(02)-15/2017 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- स्व० सुरेन्द्र प्रसाद मेहता, सेवानिवृत्त श्रम अधीक्षक की पत्नी श्रीमती रेणु मेहता (वर्तमान पता-रेणु कॉम्प्लेक्स, भूतनाथ रोड, पटना-26) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:- ज्ञापांक:- 6/श्रम वि० आ०(02)-15/2017 श्र०सं०-2244 पटना, दिनांक-19/9/19
प्रतिलिपि:- श्रमायुक्त, बिहार, पटना/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/लोक सूचना पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-01 एवं 06 (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

श्री० सुकान्त